

2015-16



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त

कुलाध्यक्ष एवं भारत के राष्ट्रपति



मा. श्री प्रणब मुखर्जी

मा. कुलाधिपति



प्रो. कपिल कपूर

मा. कुलपति



प्रो. गिरीश्वर मिश्र

मा. प्रतिकुलपति



प्रो. चित्तरंजन मिश्र

दूर शिक्षा निदेशालय के अकादमिक सदस्य

क्र.	नाम	पदनाम
1	प्रो. अरविंद कुमार झा	निदेशक
2	प्रो. संतोष कुमार भदौरिया	प्रोफेसर (सम्प्रति प्रभारी : विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद)
3	डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर	क्षेत्रीय निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर
4	डॉ. शंभू जोशी	सहायक प्रोफेसर
5	डॉ. अमित राय	सहायक प्रोफेसर (सम्प्रति : विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता)
6	डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक प्रोफेसर (सम्प्रति : विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद)
7	श्री संदीप मधुकर सपकाळे	सहायक प्रोफेसर
8	डॉ. शैलेश मरजी कदम	सहायक प्रोफेसर

दूर शिक्षा निदेशालय प्रशासनिक सदस्य

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री पी. सरदार सिंह	संयुक्त कुलसचिव
2	डॉ. मल्लसर्ज एम. मंगोड़ी	क्षेत्रीय निदेशक
3	श्री राम कुमार कनौरिया	एमटीएस

अनुक्रम

अनु. क्र.	विवरण	पृष्ठ
1	पूर्व राष्ट्रपति भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का संदेश	2
2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) का मान्यता पत्र	3
3	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का मान्यता पत्र	6
4	कुलपति का संदेश	9
5	निदेशक वक्तव्य	10
6	विश्वविद्यालय का परिचय	11
7	अकादमिक कैलेंडर	15
8	संचालित पाठ्यक्रमों की सूची	16
9	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमबीए)	17
10	समाजकार्य में स्नातकोत्तर (एमएसडब्ल्यू)	18
11	एमए (पत्रकारिता एवं जनसंचार) [एमएजे&एमसी]	19
12	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमलिबआईएससी)	19
13	शिक्षा स्नातक (बीएड)	20
14	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बीलिबआईएससी)	23
15	बीए (पत्रकारिता एवं जनसंचार) [बीएजे&एमसी]	23
16	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएम&एफपी)	23
17	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजेएमसी)	24
18	महत्वपूर्ण निर्देश	25
19	आवेदन पत्र	



सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति

भारत गणतंत्र

PRESIDENT

REPUBLIC OF INDIA

सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, 'शिक्षा जन-जन के द्वार' की भावना से दूर शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है।

मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दूर शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से, वंचित तबकों तक ज्ञान कौशल को पहुंचा सकेगा।

इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी को बधाई देता हूँ और उनकी सफलता की कामना करता हूँ।

(ए.पी.जे. अब्दुल कलाम)

नई दिल्ली

14 जून, 2007



By Speed post

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Distance Education Bureau

**(Camp Office: DEC building, IGNOU Campus, Maidan garhi, New Delhi 110068)
(phone: 011-29533340; 29571828, Fax: 011-29536668)**

F.No. UGC/DEB/MGHAV/WDA/MAH/2013/ 7247-51 03 June-May, 2014

To,

The Vice-Chancellor

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

Gandhi Hills,

Wardha - 442005

Maharashtra

Sub. : Continuation of recognition to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, wardha, Maharashtra for offering programmes through Open & Distance Learning (ODL) mode for academic year 2014 - 15 - reg.,

Sir/Madam,

Reference is invited to Office letter F.No. DEC/2009/4889, dated 17th Dec. 2009 conveying the approval of the Distance Education Council (DEC) to your University for offering programmes through Open & Distance Learning (ODL) mode. In this regard, I am directed to inform that the UGC has taken a decision to maintain status quo for 2014-15 and accordingly the recognition/approval granted to your University vide the aforementioned letter would continue for academic year 2014-15. Your University may offer the programmes through ODL mode which were approved by the statutory body of your University and were offered during 2013-14 in accordance with approval conveyed by Distance Education Council (DEC) vide F.No. DEC/2009/4889, dated 17th Dec. 2009 (Copy enclosed).

2 The above recognition is subject to the following terms and conditions:

- i) The University shall offer only those programmes through distance mode which are approved by the statutory bodies of the University as per norms and wherever necessary by the Apex regulatory bodies of the country.
- ii) It is the responsibility of the University/Institution to follow the norms prescribed by the concerned regulatory body/ies such as UGC/AICTE/any other, and also

seek its/their prior approval, wherever required, for any specific programme mentioned above.

- iii) Nomenclature of all programmes shall be as per UGC/AICTE.
- iv) No teacher education programmes can be offered without prior approval of the NCTE.
- v) Programmes in physiotherapy are not allowed through distance mode.
- vi) University/Institution shall refrain from offering such programmes that are not allowed to be offered through distance mode by respective apex body/ies.
- vii) MHRD directions prohibiting B.E./ B.Tech through Distance mode vide its letter dated 29/07/2009 shall be adhered to strictly (copy at UGC website).
- viii) The eligibility conditions for admissions will be as per UGC/AICTE norms.
- ix) The minimum duration of a programme offered through ODL mode should not be less than the minimum duration of similar programme offered through the regular mode.
- x) The University has at least one full time faculty member exclusively for coordinating each programme at the headquarters.
- xi) The territorial jurisdiction in respect of Universities for offering programmes through distance mode will be as per the policy of UGC on territorial jurisdiction and opening of off campuses/centres/study centres as mentioned in the UGC notification No.F.27-1/2012(CPP-II), dated 27th June 2013, a copy of which is also posted in the UGC website www.ugc.ac.in/deb. In respect of standalone Institutions (other than the Universities), the territorial jurisdiction will be headquarters.
- xii) Franchising arrangement for offering programmes in distance mode in any form is not allowed.

3. The Institution's management of the distance education programmes will be open for review and inspection by the UGC. The academic norms of the programmes shall be under monitoring by the concerned regulatory authorities.

4. Before launching the programme/s, the Institution shall submit an affidavit within 30 days from date of issue of this letter that it agrees to and will abide by all terms and conditions contained in letter referred to in para 1 above and the terms and conditions laid down in para 2 above. In case the UGC does not receive the affidavit within 30 days from the date of issue of this letter, the approval accorded to your Institution will be liable to be withdrawn. It may also be noted that:

- i) If the institution fails to comply with the conditions of recognition or if it is found conducting affairs in a manner that leads to deterioration of academic standards, the UGC may withdraw its recognition.
- ii) In case any information, documentary evidence submitted/produced by the University/institution is found to be false or fake at a later stage, the recognition of



University/institution shall be withdrawn and the University/Institution concerned shall be solely responsible for the career of the students enrolled.

5. Your university is required to send along with the affidavit, a list of programmes (approved by the statutory bodies) that are on offer through distance mode currently, duly authenticated by the Registrar.

Yours faithfully,

(Dev Kant Rao)

Dy. Director

Copy to:

- ✓ 1. The Director, Directorate of Distance Education, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha – 442005, Maharashtra
2. The Principal Secretary, Technical and Higher Education Department, Govt of Maharashtra, Mantralaya, Annex Building, Mumbai, Maharashtra – 400032
3. The Member Secretary, All India council for Technical education (AICTE), 7th floor, Chanderlok building, Janpath, New Delhi 110001
4. Shri Praveen Prakash, Joint Secretary (TEL), Department of Higher Education, MHRD, Govt of India, Shastri Bhawan, New Delhi 110015.
5. Concerned file
6. Master file
7. Publication Officer (Web), UGC for updating website.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

पश्चिम क्षेत्रीय समिति

F.No. APP1506/217th/ B.Ed./2015-



NCTE

National Council For Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

Western regional Committee

Date: 28.02.2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4
ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 1.12.2014.

2. AND WHEREAS, the institution Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umari, Post Office: Manas Mandir, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra has by affidavit consented to come under new Regulations and sought recognition for a basic unit of B.Ed. (ODL) which require additional facilities.

3. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students subject to the institution fulfilling following conditions namely,

- (i). The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii). The applicant-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate(LUC) and the Building Plan(BP)in the specified Performa available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available; otherwise it can also be given to the Visiting team at the time of inspection.
- (iii). The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 Feb, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

4. Now therefore, in the light of the above and in terms of Section 14(3) (a) of NCTE Act and in accordance with the Regulations, 2014, the Western Regional Committee, NCTE hereby grants recognition to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umari, Post Office: Manas Mandir, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra for conducting B.Ed. (ODL) programme of 2 years duration for an annual intake of 500 students for session 2015-2016 subject to the condition that one study centre shall enroll not more than 50 students in a given session subject to fulfilment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, only the following category of institutions shall qualify to become a Study Centre:-

Existing Teacher Education Institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face-to-face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms; institutions having offered the relevant teacher education course for at least last five years. Institutions declared as Study Centre for one course/programme by a University shall not be the Study Centres for any other programme of the same or any other University/Institution.

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 फेक्स/ Fax: 0755-2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in
NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org

- (b) (i) The number of students allotted to a Study Centre shall not exceed one hundred (50 for the first year and 50 for the second year), (ii) The Study Centre shall provide to the distance learners (allocated to it) access to its library, laboratories and other physical facilities, (iii) The Headquarters or the Regional Centre of the ODL institution may also function as a Study Centre at least for one hundred (50 first year and 50 second year) students.
- (c) Teacher educators/supervisors/academic counsellors engaged for various activities of the Study Centre shall be fully qualified as per the NCTE norms.
- (d) All the functionaries associated with the activities of the Study Centres must be oriented by the open university/institution in the practice of the ODL system from time to time, but at least once in a year.
- (e) The request for additional unit of intake in any programme shall be examined by the NCTE on the basis of availability of required facilities in respect of study centres and related support in the territorial jurisdiction of the institution. Laid down procedures shall be followed for seeking recognition for additional intake.

6. Further, the recognition is subject to fulfilment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc. as applicable.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self- Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

8. The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution:
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- c) Name of faculty members who left or joined during the last, quarter:
- d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- e) Fee charged from students;
- f) Available infrastructural facilities;
- g) Facilities added during the last quarter;
- h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- j) The institution shall be free to post additional relevant information. if it so desires.
- k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.
- l) NCTE, New Delhi vide letter no. F.49-15/2013/NCTE/N&S dated 12th September, 2013 has granted relaxation to Central Universities under clause 12 of extent NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulation 2009 that the infrastructural requirements shall be fulfilled within a period of 3 years; provided adequate infrastructural arrangement is made on lease/rental basis as per stipulations of NCTE, before approval.

In case, at the end of 3 years all the criteria, as per the Rules and Regulations of the NCTE are not fulfilled, the Regional Committee would be at liberty to withdraw the recognition given to the respective Central Universities.

If the institution Contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,


(Sunil Shrivastava)
Regional Director

The Manager,
Government of India Press,
Department of Publications (Gazette Section),
Civil Lines, New Delhi – 110054.

To:

✓ The Principal,
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay,
Wardha (Central University),
Plot Number: 18, Village: Umari,
Post Office: Manas Mandir,
Tehsil/City/District: Wardha: 442001,
Maharashtra

Copy to:-

1. The Registrar, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Street - Gandhi Hills, Village -Umari, P.O. Manas Mandir, Tah/City/Dist.- Wardha - 442001, Maharashtra.
2. The Education Secretary, (Higher Education), Govt. of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai, Maharashtra.
3. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhavan, New Delhi – 110 001.
4. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
5. The Computer Programmer, Computer Section, WRO, (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
6. Office Order file/institution file APP1506.


Regional Director

कुलपति का संदेश



विश्वविद्यालय में शिक्षा का मूल प्रयोजन समाज को दिशा देना और युवाशक्ति को सकारात्मक और सर्जनशील ढंग से उर्जस्वित करना है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान की अनेकानेक विधाओं में, विशेषतः वर्तमान काल की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में, उच्च अध्ययन और शोध के लिए सतत प्रयास कर रहा है। महात्मा गांधी की स्मृति से जुड़ा और राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षा में संलग्न इस विश्वविद्यालय का परिसर आधुनिक तकनीकी सुविधाओं, आवास व्यवस्था, पुस्तकालय आदि से सुसज्जित है और इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी शिक्षक और सहकर्मी तत्पर हैं। आज के बदलते समय में मीडिया और वैश्वीकरण हमारे अनुभव का हिस्सा बन चुका है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि युवा पीढ़ी इस दृष्टि से उपयोगी कौशलों से युक्त हो। इसे ध्यान में रख कर कंप्यूटर, विदेशी भाषा, संचार, साहित्य, फिल्म तथा थियेटर और संस्कृति से जुड़े अनुशासनों में शिक्षण और शोध पर यहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां पर ऐसे अनेक विषयों जैसे दलित तथा जनजाति अध्ययन, स्त्री अध्ययन, मानव विज्ञान, डायस्पोरा अध्ययन, अहिंसा और शांति अध्ययन, बौद्ध अध्ययन आदि भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं पर प्रायः उपेक्षित रहे हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये विषय अनेक संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। शीघ्र ही शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के विषयों में भी अध्यापन का कार्य आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी दृष्टिकोण को साकार रूप प्रदान करने तथा शिक्षा के लोकतंत्रीकरण हेतु विश्वविद्यालय में 2007 में दूर शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय तभी से शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय है।

इस वर्ष हमने निदेशालय के अंतर्गत कई नए पाठ्यक्रमों की योजना बनाई है। निदेशालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों को पिछले वर्षों में जिस तरह लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसे देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इन पाठ्यक्रमों में भी विद्यार्थियों की रुचि होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन का अनुभव विद्यार्थियों को न केवल रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करेगा बल्कि उन्हें कौशलयुक्त अच्छा मनुष्य बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

मैं नए विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनसे यह आग्रह होगा कि वे इस शिक्षा केंद्र को अपनी योग्यता और क्षमता के विस्तार के लिए माध्यम बनाएं। मैं, विश्वविद्यालय के अध्यापक और कर्मचारीगण, सभी आपकी जीवन यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपके साथ हैं। मेरा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति और आपका योगदान इस विश्वविद्यालय को नई उँचाइयों पर ले जाएगा।

प्रो. गिरीश्वर मिश्र
कुलपति



निदेशक वक्तव्य



‘शिक्षा आपके द्वार’ की अवधारणा को चरितार्थ करता दूर शिक्षा निदेशालय विभिन्न अंतरानुशासनिक पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। यह निदेशालय देश भर में विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार का कार्य लगातार कर रहा है। इसके सभी पाठ्यक्रम प्रवेश और अध्ययन प्रक्रिया की दृष्टि से विद्यार्थी केंद्रित हैं। यह निदेशालय उन पक्षों को लेकर सजग है जिनसे उच्च शिक्षा में बाधा पड़ती है। अतः इसके द्वारा यह कोशिश की गई है कि उच्च शिक्षा के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए। प्रत्येक पाठ्यक्रम की संरचना और पाठ्यसामग्री को सरल, बोधगम्य एवं स्व-अधिगम के उद्देश्य से तैयार किया गया है। संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इसे सर्व सुलभ भी बनाने की कोशिश की गई है। यह विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है कि इन पाठ्यक्रमों द्वारा ऐसा अवसर दिया जाए जो भविष्य में व्यावसायिक सफलता के लिए मददगार हो। हिंदी में मौलिक एवं वैकल्पिक सोच हेतु प्रतिबद्ध विश्वविद्यालय का यह निदेशालय प्रयास करेगा कि एक ओर अनुसंधान द्वारा हिंदी एवं विभिन्न अंतरानुशासनिक विषयों में सृजन को बढ़ावा मिले, साथ ही दूसरी ओर हिंदी भाषा के माध्यम से रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को आम-जन तक पहुँचाया जा सके। इसके विभिन्न पाठ्यक्रमों का एक उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थी समाज में विद्यमान समस्याओं के प्रति गहन आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करे और उनके सृजनात्मक समाधान के लिए भी प्रयासरत हो।

दूर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके, विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है।

विश्वविद्यालय और कर्मचारियों की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ एवं रोज़गारपरक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

प्रो. अरविंद कुमार झा
निदेशक



दूर शिक्षा निदेशालय का परिचय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, भारतीय संसद द्वारा पारित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 (1997 की अधिनियम संख्या 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए एक विकल्प उपस्थित करने का प्रयास है। विश्वविद्यालय की दृष्टि में यह वैकल्पिकता सक्रिय रूप में दिखाई पड़ती है। इसके शैक्षणिक ढांचे में आवश्यकतानुसार लचीलेपन का समावेश लक्षित है। विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नांकित हैं -

“विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः हिंदी भाषा तथा साहित्य का संवर्धन और विकास करना एवं उस प्रयोजन के लिए विद्या की सुसंगत शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययनों एवं अनुसंधान के सक्रिय अनुसरण के लिए व्यवस्था करना, देश तथा विदेश में सुसंगत सूचना के विकास और प्रसारण के लिए सुविधाएं प्रदान करना, हिंदी की कार्यात्मक प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए अनुवाद, निर्वचन व भाषा विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, विदेशों में हिंदी में अभिरुचि रखने वाले हिंदी विद्वानों एवं समूहों तक पहुँचना तथा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिए उन्हें सहबद्ध करना और दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना होगा।”

साथ ही धारा 5 के उपबंध (V) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में बताया गया है कि -

“दूर शिक्षा माध्यम से उन व्यक्तियों को, जिनके बारे में वह अवधारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना।”

इसी पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

दूर शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके, विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुंचाना है। यह हिंदी भाषा को आधार बनाकर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। निदेशालय स्त्री-अध्ययन, अहिंसा एवं शांति अध्ययन जैसे नवीनतम अनुशासनों को व्यापक समाज तक पहुँचाने का प्रयास करेगा ताकि विश्वशांति एवं समता जैसे मूल्यों को व्यावहारिक तौर पर सिद्ध किया जा सके। हिंदी में मौलिक वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध निदेशालय यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूर शिक्षा कार्यक्रम शोध द्वारा हिंदी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही दूसरी ओर हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आम जन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूर शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह निदेशालय अपने ध्येय ‘शिक्षा जन-जन के द्वार’ को चरितार्थ कर सकेगा।

दर्शन

दूर शिक्षा निदेशालय शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिंदी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके, विशेष तौर पर असुविधाग्रस्त तथा वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिंदी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का हिंदी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

उद्देश्य

- 1) परंपरागत व्यवस्था से लाभ उठाने से वंचितों को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना।
- 2) बृहत हिंदी-भाषी समुदाय के लिए उच्च शिक्षा में अत्याधुनिक, तकनीकी एवं विशिष्ट अनुशासनों के अवसरों में वृद्धि करना।
- 3) हिंदी माध्यम से डिग्री प्राप्ति करने के इच्छुक अभ्यर्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- 4) नव-स्नातकों को पाठ्यक्रम की सफलतापूर्ण समाप्ति पर रोजगार के नए एवं बेहतर अवसरों की ओर उन्मुख करने के लिए रोजगारपरक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।
- 5) शिक्षा की इस पद्धति द्वारा हिंदी माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्त करने को बढ़ावा देना।
- 6) विश्वविद्यालयों की वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में बेहतर अंतर्संबंधता उपलब्ध कराने का सक्षम प्रयास करना।

पारिभाषिकी

1. **‘दूर शिक्षा निदेशालय’** - विश्वविद्यालय का एक निदेशालय जो प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री व विभिन्न राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर अनुसंधान तक के पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।
2. **‘अकादमिक कार्य’** - विभिन्न संबंधित पाठ्यक्रमों (विषयों) से होगा जिसे कोई विद्यार्थी सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए करेगा/करेगी।
3. **‘प्रमाण-पत्र’** - इसका तात्पर्य किसी डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या अनुसंधान/पीएचडी डिग्री आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक समाप्ति पर दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र से है।
4. **‘पाठ्यक्रम’** - किसी अकादमिक कार्यक्रम की किसी इकाई (जिसे दूसरे शब्दों में ‘विषय’ कहा जा सकता है) के सफलतापूर्वक समापन करने से होगा, ताकि अकादमिक कार्यक्रम का प्रमाण प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम विभिन्न संगठकों यथा-सैद्धांतिक, व्यावहारिक एवं परियोजना कार्य का समुच्चय हो सकता है।
5. **‘सत्र’** - अकादमिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय (अर्ध-वार्षिक/वार्षिक)।
6. **‘वर्ष’** - अकादमिक कार्यक्रम के किसी निर्धारित भाग को पूरा करने में लगने वाले दो सत्रों का योग।
7. **‘विद्यार्थी पंजीयन’** - अकादमिक कार्यक्रम में किसी विद्यार्थी के नामांकन का स्थाईकरण/अनुमोदन है। निर्धारित नामांकन पत्र के पूर्ण विवरण (आवश्यक दस्तावेज़ सहित) एवं निर्धारित शुल्क की अदायगी के बाद ही पंजीयन वैध माना जाएगा।
8. **‘क्रेडिट पद्धति’** - विश्वविद्यालय क्रेडिट पद्धति का अनुसरण करेगा। एक क्रेडिट का तात्पर्य विभिन्न शिक्षा/शैक्षिक गतिविधियों-अर्थात् मुद्रित सामग्री के पाठ समय, परामर्श कार्यक्रम में भागीदारी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं निर्दिष्ट कार्यों में लगने वाला समय। एक क्रेडिट का तात्पर्य न्यूनतम 30 घंटों की भागीदारी से है। इस तरह 4 क्रेडिट के एक पाठ का तात्पर्य 120 घंटों की शैक्षिक गतिविधियों से है। यह अध्येता को इस बात का अहसास दिलाता है कि एक पाठ की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए कितने परिश्रम की ज़रूरत है। एक अकादमिक कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के लिए अध्येता को कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ के लिए निर्दिष्ट कार्य, प्रायोगिक कार्य, परियोजना तथा सत्रांत परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
9. **‘पाठ्यक्रम निष्पादन’** - महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र अथवा आभासी शिक्षा कक्षाओं द्वारा पाठ्यक्रम का संपन्न किया जाना।
10. **‘अध्ययन केंद्र’** - एक ऐसा स्थान जहाँ शैक्षिक तथा प्रशासनिक दोनों सुविधाएँ जैसे-सूचना प्राप्त करना, शैक्षिक परामर्श, व्यावहारिक दिशा-निर्देश, कार्यानुभव, मल्टीमीडिया सुविधाएँ, पुस्तकालय, परियोजना कार्यों का निर्देशन, भ्रमण कार्यक्रम, विश्वविद्यालय के साथ संप्रेषण आदि कार्यों के लिए उत्तरदायी है।
11. **‘कार्यक्रम समन्वयक’** - अध्ययन केंद्र के प्रशासनिक एवं शैक्षिक दायित्वों का निर्वाह करने वाला व्यक्ति। ये परामर्शदाताओं की उपलब्धता, स्वयं अध्ययन सामग्री के वितरण, परामर्श कार्यक्रम के आयोजन आदि कार्य के लिए उत्तरदायी है।



12. **‘अध्ययन केंद्र प्रमुख’**- उस संस्था का प्रमुख जिसे उस अध्ययन केंद्र की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। वे दैनंदिन कार्यों में भागीदारी नहीं करेंगे लेकिन अध्ययन केंद्र की किसी समस्या के समाधान में उनकी अहम भूमिका होगी।
13. **‘परामर्श सत्र’**- अध्ययन केंद्र में आयोजित वह सत्र जिसमें परामर्शदाता अध्येता की समस्याओं/प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे एवं स्वयं अध्ययन सामग्री से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान कर सकेंगे। परामर्श सत्र के दौरान अध्येता अध्ययन-केंद्र की प्रयोगशाला में परियोजना कार्य से संबंधित कार्य भी करेंगे।
14. **‘सत्रारंभ’**- किसी सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत।
15. **‘परामर्शदाता’**- अध्ययन-केंद्र का वह व्यक्ति, जो अध्येता की समस्याओं/प्रश्नों को हल करने में मदद करता हो।
16. **‘स्वयं अध्ययन सामग्री’** - दूर शिक्षा माध्यम के अध्येताओं के लिए विशेष रूप से तैयार अध्ययन सामग्री जिसमें मुद्रित, दृश्य, श्रव्य, सी डी, कंप्यूटर आधारित सामग्री आदि शामिल हैं। इन सामग्रियों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि अध्येता शिक्षक के बिना भी इसे समझ सके। इसमें बोध प्रश्न, उदाहरण, संदर्भ घटना अध्ययन, रेखाचित्र, परिचय, पारिभाषिकी, सारांश आदि सम्मिलित हैं जो स्वयं निर्दिष्ट प्रश्नों एवं गतिविधियों को हल करने में मददगार साबित होती हैं।
17. **‘मूल्यांकन पद्धति’**- निर्दिष्ट कार्यों के माध्यम से निरंतर मूल्यांकन प्रायोगिकी, सत्रांत परियोजना कार्य आदि सम्मिलित हैं।
18. **‘सत्रांत परीक्षा’**- किसी भी सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा, जो सैद्धांतिक/व्यावहारिक प्रश्न-पत्र की होगी।
19. **‘आंतरिक मूल्यांकन’**- सत्र के दौरान निर्दिष्ट कार्यों के माध्यम से अध्येता के प्रदर्शन को जाँचने की पद्धति।
20. **‘परियोजना’**- अध्येता को दिया जाने वाला एक निर्दिष्ट कार्य जिसमें सामान्य से कहीं अधिक प्रयत्न की ज़रूरत होती है।
21. **‘पाठ का सफलतापूर्वक समापन’**- अध्येता द्वारा परीक्षा नियमों के तहत सत्रांत परीक्षा में पाठ के सभी घटकों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंकों की प्राप्ति।
22. **‘क्रेडिट स्थानांतरण’**- विश्वविद्यालय की स्वीकृति पर छात्र द्वारा अपने पूर्व-पाठ्यक्रम में अर्जित क्रेडिट का किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्थानांतरण। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान में औपचारिक अध्ययन द्वारा अर्जित क्रेडिट स्थानांतरण हेतु स्वीकार्य है। क्रेडिट स्थानांतरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर लिखित आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ पूर्व की शैक्षिक योग्यता से संबंधित स्वप्रमाणित अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र/दस्तावेज़ तथा पूर्व में उत्तीर्ण संबंधित पाठ्यक्रम का पाठ्य-विवरण (Syllabus) संलग्न करना अनिवार्य है। क्रेडिट स्थानांतरण की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा घोषित करने के बाद ही क्रेडिट स्थानांतरण प्रभावपूर्ण माना जाएगा।

अकादमिक कैलेंडर

विवरण-पत्रिका शुल्क

विवरणिका शुल्क सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए	₹ 200 (₹ 250 डाक द्वारा)
अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों के लिए	₹ 100 (₹ 150 डाक द्वारा)

सामान्य पाठ्यक्रम

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि

- 1) शुल्क सहित आवेदन पत्र अध्ययन केंद्र/मुख्यालय में स्वीकार करने की अंतिम तिथि - 31 अगस्त, 2015
- 2) विलंब शुल्क ₹ 300/- सहित आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि - 15 सितंबर, 2015

अंतिम नामांकन सूची जारी करना	पाठ्यसामग्री, सत्रीय कार्य, परीक्षा फार्म एवं परिचय पत्र भेजने की तिथि	सत्रीय कार्य व परीक्षा फार्म मुख्यालय वर्धा में जमा करने की अंतिम तिथि	वार्षिक परीक्षा	परीक्षा परिणाम
30 सितंबर, 2015	31 अक्टूबर, 2015	31 मार्च, 2016	मई, 2016 अंतिम सप्ताह	31 जुलाई, 2016

बीएड तथा प्रबंधन पाठ्यक्रम

विवरण	बीएड हेतु	एमबीए हेतु
प्रवेश आवेदन-पत्र प्राप्त करने व जमा करने की अंतिम तिथि	18 अगस्त, 2015	25 सितंबर, 2015
अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रवेशार्थियों की सूची, ₹ 200/- विवरणिका शुल्क सहित प्रवेश आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	31 अगस्त, 2015	-
मेरिट के आधार पर चयनित प्रवेशार्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	11 सितंबर, 2015	-
पाठ्यक्रम-शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	25 सितंबर, 2015	25 सितंबर, 2015 (प्रवेश तथा नामांकन शुल्क सहित)
प्रविष्ट छात्रों की अध्ययन/क्षेत्रीय केंद्र/राज्यवार पंजीयन संख्या वेबसाइट पर प्रकाशित करने की तिथि	10 अक्टूबर, 2015	10 अक्टूबर, 2015
सत्रारंभ	15 अक्टूबर, 2015	15 अक्टूबर, 2015

संपर्क :

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442 001 (महाराष्ट्र)

प्रवेश अनुभाग : 07152-232957, वेबसाइट : www.hindivishwa.org

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों का माध्यम हिंदी है। सभी पाठ्यक्रमों के लिए समय-समय पर संपर्क कक्षाओं (Contact Classes) का आयोजन किया जाएगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट : www.hindivishwa.org पर दी जाएगी।

संचालित पाठ्यक्रमों की सूची

(दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त पाठ्यक्रम UGC की दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB), नई दिल्ली तथा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त हैं)

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	कोड	पात्रता	पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की न्यूनतम अवधि	पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अधिकतम अवधि
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम					
1	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA)	001	सामान्य वर्ग के लिए 50% (45% SC/ST/PH) अंकों के साथ स्नातक	2 वर्ष	4 वर्ष
2	समाजकार्य में स्नातकोत्तर (MSW)	002	स्नातक या समकक्ष	2 वर्ष	5 वर्ष
3	एमए (पत्रकारिता एवं जनसंचार) MA (J&MC)	003	B.J.M.C./B.J./P.G.D.J.M.C. अथवा स्नातक	2 वर्ष	6 वर्ष
4	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर MLib ISc	004	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक	1 वर्ष	4 वर्ष
5	शिक्षा स्नातक (BEd)	012	1. प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक। 2. वे अभ्यर्थी, जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त नियमित रीति (फेस-टु-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है।	2 वर्ष	5 वर्ष
स्नातक पाठ्यक्रम					
6	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLibISc)	006	स्नातक	1 वर्ष	4 वर्ष
7	बीए (पत्रकारिता एवं जनसंचार) BA (J&MC)	007	स्नातक या समकक्ष उपाधि	1 वर्ष	4 वर्ष
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम					
8	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDEM & FP)	008	स्नातक या समकक्ष उपाधि	1 वर्ष	3 वर्ष
9	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDJMC)	009	स्नातक या समकक्ष उपाधि	1 वर्ष	4 वर्ष

1. व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एमबीए)

यह हिंदी माध्यम द्वारा प्रबंधन क्षेत्र में दूर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित होने वाला एकमात्र और अनोखा पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम ने उन विद्यार्थियों के, जिन्हें व्यवसाय प्रशासन में रुचि है, के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। इस पाठ्यक्रम से इसके अध्येताओं में आत्मविश्वास तो पैदा होगा ही, साथ ही वे दक्षता के साथ हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ सकेंगे। वर्तमान संदर्भों में बाज़ार की माँग को ध्यान में रखते हुए विविध विशेषज्ञताओं में इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। यह पाठ्यक्रम कुल 96 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम वर्ष

सेमेस्टर I				सेमेस्टर II			
क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट	क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट
1	MBA101	प्रबंध के सिद्धांत एवं संगठनात्मक व्यवहार	4	6	MBA106	मानव संसाधन प्रबंध	4
2	MBA102	प्रबंधकीय अर्थशास्त्र	4	7	MBA107	वित्तीय प्रबंधन	4
3	MBA103	प्रबंध सूचना प्रणाली एवं संगणक के अनुप्रयोग	4	8	MBA108	विपणन प्रबंध	4
4	MBA104	प्रबंधकीय लेखांकन	4	9	MBA109	व्यावसायिक नीतियां एवं रणनीतिक प्रबंध	4
5	MBA105	व्यावसायिक सन्नियम	4	10	MBA110	व्यापक आर्थिक प्रबंध	4

द्वितीय वर्ष (विषय विशेषज्ञता)

सेमेस्टर III (अनिवार्य विषय)							
1	MBA201	शोध संचार प्रणाली					4
2	MBA202	अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रबंध					4
उपलब्ध विशेषज्ञताएँ							
विद्यार्थी सुविधानुसार निम्नलिखित में से किन्हीं दो विशेषज्ञता क्षेत्रों (अनिवार्य) का चयन कर सकते हैं-कुल 16 क्रेडिट							
विपणन				मानव संसाधन			
क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट	क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट
3	MBA203	उपभोक्ता व्यवहार	4	5	MBA205	मानव संसाधन विकास	4
4	MBA204	विपणन अनुसंधान	4	6	MBA206	मानव संसाधन नियोजन	4
वित्त				बैंकिंग एवं बीमा			
क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट	क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट
7	MBA207	निगम वित्त	4	9	MBA 209	बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार	4
8	MBA208	कराधान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष	4	10	MBA 210	बैंकिंग के मूलतत्व एवं प्रणालियाँ	4

सेमेस्टर IV

विद्यार्थी सेमेस्टर III - विशेषज्ञतानुसार एक विशेषज्ञता के लिए 3 विषय एवं दूसरी विशेषज्ञता में से 2 विषय (अनिवार्य)
का निम्नलिखित विशेषज्ञता क्षेत्रों में से चयन करें-

सेमेस्टर IV : विपणन विशेषज्ञता				सेमेस्टर IV : मानव संसाधन विशेषज्ञता			
क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट	क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट
1	MBA 219	विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन	4	1	MBA 224	संगठनात्मक परिवर्तन और विकास	4
2	MBA 220	अंतरराष्ट्रीय विपणन	4	2	MBA 225	औद्योगिक संबंध प्रबंध	4
3	MBA 221	बिक्री और वितरण प्रबंधन	4	3	MBA 226	प्रबंधकों के लिए श्रम कानून	4
4	MBA 222	विपणन सेवाएँ	4	4	MBA 227	अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन	4
5	MBA 223	ब्रांड प्रबंध	4				

सेमेस्टर IV : वित्त विशेषज्ञता				सेमेस्टर IV : बैंकिंग एवं बीमा विशेषज्ञता			
क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट	क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्रेडिट
1	MBA 228	अंतरराष्ट्रीय वित्त	4	1	MBA 232	बैंकिंग के सिद्धांत और आचरण	4
2	MBA 229	प्रत्याभूति विश्लेषण पोर्टफोलियो	4	2	MBA 233	वाणिज्यिक बैंकों का प्रबंध	4
3	MBA 230	वित्तीय संस्थाओं का प्रबंध	4	3	MBA 234	बीमा और जोखिम प्रबंधन	4
4	MBA 231	कार्यशील पूंजी प्रबंध	4	4	MBA 235	बीमा कंपनियों का प्रबंध	4
सेमेस्टर IV : परियोजना कार्य							
6	MBA 236	विशेषज्ञता से संबंधित परियोजना कार्य अनिवार्य					8

2. समाजकार्य में स्नातकोत्तर (एमएसडब्ल्यू)

यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को समाजकार्य से जुड़े व्यवसायों में उच्च अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराता है। समाजकार्य पाठ्यक्रम के परंपरागत विषयों के साथ यह वैश्वीकरण, विस्थापन, भारत में समाजकार्य का इतिहास, एड्स/एचआईवी इत्यादि समसामयिक व प्रासंगिक विषयों को भी समाहित करता है। इस पाठ्यक्रम का व्यावहारिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यह पाठ्यक्रम 60 क्रेडिट का है।

पाठ्यक्रम विवरण

प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष		
क्र.	कोड	पाठ्य विषय	क्र.	कोड	पाठ्य विषय
1	MSW-001	सामाजिक कार्य का इतिहास एवं विकास	1	MSW-005	सामाजिक कार्य अनुसंधान
2	MSW-002	भारतीय सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याएँ	2	MSW-006	सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य एवं समूह कार्य
3	MSW-003	मानव प्रगति एवं व्यक्तित्व विकास	3	MSW-007	सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया
4	MSW-004	समाज में मानव व्यवहार	4	MSW-008	सामाजिक कल्याण प्रशासन, नीति और नियोजन
			5	MSW-P01	परियोजना कार्य

3. एमए (पत्रकारिता एवं जनसंचार) [एमएजे&एमसी]

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जनसंचार सिद्धांतों, मीडिया की विभिन्न धारणाओं-समस्याओं का विस्तृत एवं गहन अध्ययन कराना है। इस पाठ्यक्रम द्वारा जनसंचार माध्यमों (मीडिया) के संबंध में शोध प्रशिक्षण एवं सतत अध्ययन को गति देना, मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रुचि के अनुसार दक्षता का विकास किया जाना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराया जाता है। यह पाठ्यक्रम 72 क्रेडिट का है।

पाठ्य विवरण

प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष		
क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	MJMC-01	जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन	1	MJMC-06	दृश्य-श्रव्य जनसंचार प्रविधि
2	MJMC-02	फ्रीचर लेखन एवं पत्रिका संपादन	2	MJMC-07	विकासात्मक जनसंचार
3	MJMC-03	जनसंचार शोध प्रविधि	3	MJMC-08	ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता
4	MJMC-04	जनसंचार के सिद्धांत	4	MJMC-09	मुद्रण, प्रकाशन एवं जनसंचार प्रबंधन
			5	MJMC-11	परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क)

4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमलिबआईएससी)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश में विद्यमान पुस्तकालय और सूचना केंद्रों के प्रभावी संगठन तथा प्रबंधन के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण विकसित करना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय की नवीनतम प्रवृत्तियों एवं तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ज्ञान व कौशल अर्जित कर सकेंगे। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	MLIS - 01	पुस्तकालय सूचना एवं समाज	5	MLIS - 05	सूचना उत्पाद एवं सेवाएँ : संरचना, विकास एवं विपणन
2	MLIS - 02	ज्ञान का संगठन एवं शोध पद्धति	6	MLIS - 06	पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन
3	MLIS - 03	सूचना संग्रहण एवं पुनःप्राप्ति	7	MLIS - 07	पुस्तकालय में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
4	MLIS - 04	सूचना स्रोत, संसाधन एवं प्रणालियाँ	8	MLIS - 08	पुस्तकालय सामग्री का परिरक्षण एवं संरक्षण



5. बीएड (शिक्षा स्नातक)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य सेवारत शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास का एक मंच प्रदान करना है, जो माध्यमिक स्तर पर प्रभावशाली अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया हेतु उन्हें सक्षम बना सके। यह पाठ्यक्रम सेवारत अध्यापकों के अनुभवों को साझा करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सेवारत शिक्षकों में शिक्षाशास्त्रीय कुशलताओं को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि वे शिक्षण के विभिन्न दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आयामों के बृहत्तर परिदृश्य को भारतीय संदर्भ में समझ सकें। इस पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा की समकालीन मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह पाठ्यक्रम दो वर्ष का है जिसमें विद्यार्थी को कुल 80 क्रेडिट अर्जित करनी होगी।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य :

पाठ्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों को निम्नलिखित के योग्य बनाना है :

1. सेवारत अध्यापकों के अनुभवों को व्यवस्थित करना और उनकी व्यावसायिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
2. उन कौशलों को विकसित करना जो माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अध्ययन अनुभवों के चयन करने और उन्हें व्यवस्थित करने हेतु आवश्यक माने जाते हैं।
3. उन कौशलों को विकसित करना जो विद्यार्थियों की शैक्षिक और निजी समस्याओं को सुलझाने हेतु आवश्यक हैं।
4. ज्ञान का निर्माण करना तथा कक्षा में उसका प्रयोग करना।
5. शैक्षिक आकलन व मूल्यांकन उपकरणों का चयन, विकास और प्रयोग करने हेतु सम्मिलित कौशलों को विकसित करना।
6. विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान और बोध प्राप्त कराना।
7. विभिन्न शिक्षण, अनुदेशन और विद्यार्थी सहायता कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए क्षमताएँ विकसित करना।
8. वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में सामान्य तौर पर, तथा शैक्षिक पद्धति में विशेष तौर पर अध्यापक की भूमिका के महत्व का बोध विकसित करना।

शिक्षा का माध्यम : हिंदी

बीएड पाठ्यक्रम की रूपरेखा

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	प्रश्न पत्र कोड	विषय	क्रेडिट
1	शिक्षा-001	शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएँ और विचार	04
2	शिक्षा-002	मानव विकास, विविधता और सीखना : I	04
3	शिक्षा-003	समकालीन भारतीय शिक्षा	04
4	शिक्षा-004	शिक्षा तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	04
गोष्ठी/कार्यशाला/सेमिनार		शिक्षा में थिएटर और हस्तशिल्प	02
		विद्यालय संपर्क कार्यक्रम	02

द्वितीय सेमेस्टर

5	शिक्षा-005	शिक्षा का सामाजिक सन्दर्भ	04
6	शिक्षा-006	मानव विकास, विविधता और सीखना : II	04
7	शिक्षा-007	पाठ्यचर्या अध्ययन	04
8	शिक्षा-008	विषय शिक्षण	04
		विषय शिक्षण I	
		विषय शिक्षण II	
गोष्ठी/कार्यशाला/सेमिनार		शिक्षण विषयों के ज्ञानानुशासन पर आधारित	02
		विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम	02

तृतीय सेमेस्टर

9		विषय शिक्षण I	0 2
1 0		विषय शिक्षण II	0 2
1 1		विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (शिक्षण अभ्यास, परियोजना कार्य व अन्य)	1 4
गोष्ठी/कार्यशाला/सेमिनार		पर्यावरण शिक्षा/स्वास्थ्य एवं स्वस्ति भाव शिक्षा/किशोर शिक्षा	0 2

चतुर्थ सेमेस्टर

1 3	शिक्षा-0 0 9	शैक्षिक मूल्यांकन व आकलन	0 4
1 4	शिक्षा-0 1 0	जेण्डर विमर्श और शिक्षा	0 4
1 5	शिक्षा-0 1 1	विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए शिक्षा	0 4
		विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान किए कार्यों की रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण एवं परियोजना कार्य	0 6
गोष्ठी/कार्यशाला/सेमिनार		शांति के लिए शिक्षा/मानवाधिकार और शिक्षा	0 2

विद्यार्थी परियोजना कार्य इत्यादि संबंधी अधिक जानकारी अपने अध्ययन केंद्र/ दूर शिक्षा निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।

वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम

दो वर्षीय इस कार्यक्रम में विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त परामर्श और कार्यशालाएँ, सेमिनार, प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट-लेखन इत्यादि सम्मिलित हैं। मुख्यालय या अध्ययन केंद्र पर कुल 0 6 महीने की अवधि के लिए इनका संचालन किया जाएगा। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम निम्नलिखित विवरणानुसार संपन्न किया जाएगा-

परामर्श सत्र

इनमें अध्येताओं की शैक्षणिक और पाठ्यक्रम से संबंधित वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्श सत्रों का उपयोग अध्येताओं की विषय-वस्तु संबंधी कठिनाई, क्षेत्र कार्य, शिक्षण अभ्यास, प्रदत्त कार्य, शोध निबंध, समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल इत्यादि से संबंधित व्यक्ति कृत निर्देशन के लिए किया जाएगा। दो वर्ष की अवधि में परामर्श सत्रों के लिए कम से कम 1 4 4 घंटे निर्धारित होंगे। इन परामर्श सत्रों का आयोजन ट्यूटोरियल के रूप में किया जाएगा न कि अध्ययन सत्रों के रूप में।

कार्यशालाएँ

कार्यशालाओं में अध्येता उन क्षमताओं या कौशलों का विकास करेगा जिनकी अपेक्षा एक अध्यापक अथवा अध्यापक-शिक्षक से होती है। अतः अध्यापक-शिक्षकों की विभिन्न क्रियाकलापों में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में सहभागिता होगी। अध्ययन केंद्र का यह दायित्व होगा कि वह पूर्ण कक्षाओं में अथवा अनुरूपित शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था करे। इन कार्यशालाओं में अध्येताओं को आईसीटी के निर्माण और उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य के लिए उन्हें अध्ययन सहायक सामग्री, शोध उपकरण, कार्यपत्रक, पाठ्य इकाइयाँ, प्रदत्त कार्य, मूल्यांकन शीर्षक आदि के निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा। अध्येताओं ने सैद्धांतिक विषयों में जो कुछ सीखा है, उसका अभ्यास करने के लिए उन्हें यथोचित व पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। दो वर्ष की अवधि में कुल चार कार्यशालाएँ (प्रति सेमेस्टर एक) आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक कार्यशाला की अवधि 6 दिन की होगी।

विद्यालय आधारित क्रियाकलाप

अध्येताओं को उन क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाएगा जो एक अध्यापक विद्यालय में करता है। विद्यालय आधारित क्रियाकलाप करने के लिए अध्येता अपने विद्यालय के किसी वरिष्ठ अनुभवी अध्यापक/ प्रिंसिपल आदि के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। इस प्रकार अध्येता का पर्यवेक्षण/निर्देशन कम से कम 1 5 अध्ययन घंटों के लिए इस मार्गदर्शन द्वारा किया जाएगा।

शिक्षण अभ्यास

अध्येता जिस विद्यालय में कार्यरत है उस विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक/शैक्षणिक सलाहकार के पर्यवेक्षण में तीन महीने की अवधि के लिए शिक्षण अभ्यास करेगा। अध्येता अपने पर्यवेक्षक/अध्यापक के मार्गदर्शन में पाठ योजना का निर्माण कर अध्यापन करेगा एवं पाठ योजना तथा शिक्षण अभ्यास पर अध्यापक से वैयक्तिक पर्यवेक्षण एवं फीडबैक प्राप्त करेगा।



6. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बीलिबआईएससी)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश में विद्यमान पुस्तकालय और सूचना तकनीकी की जानकारी तथा प्रभावी संगठन एवं व्यवस्थापन की दक्षता और कौशल विकसित करना है। यह पाठ्यक्रम 40 क्रेडिट का है।

पाठ्य विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	BLIS-01	पुस्तकालय एवं समाज	5	BLIS-05	पुस्तकालय प्रबंध
2	BLIS-02	पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत	6	BLIS-06	सूचना स्रोत
3	BLIS-03	पुस्तकालय वर्गीकरण - प्रायोगिक	7	BLIS-07	संदर्भ एवं सूचना सेवाएँ
4	BLIS-04	पुस्तकालय सूचीकरण - प्रायोगिक	8	BLIS-08	कंप्यूटर : मूलभूत एवं अनुप्रयोग

7. बीए (पत्रकारिता एवं जनसंचार) [बीएजे&एमसी]

प्रस्तुत पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय का व्यावहारिक और गहन प्रशिक्षण देना है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यमों के प्रति रुचि उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थी मुद्रित माध्यमों; पत्र-पत्रिकाएँ आदि से लेकर रेडियो, टेलीविजन, समाचार एजेंसियों और सरकारी एवं कारपोरेट संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कौशल हासिल कर सके। यह पाठ्यक्रम 40 क्रेडिट का है।

पाठ्य विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	BJ-01	कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं साइबर मीडिया	5	BJ-05	जनसंपर्क एवं विज्ञापन
2	BJ-02	संचार एवं विकासात्मक संचार	6	BJ-06	संपादन, पृष्ठ सज्जा एवं मुद्रण
3	BJ-03	जनसंचार माध्यमों का इतिहास	7	BJ-07	मीडिया संस्थान प्रबंधन एवं मीडिया कानून
4	BJ-04	मीडिया लेखन	8	BJ-08	परियोजना कार्य

8. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएम&एफपी)

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन का विस्तृत एवं गहन अध्ययन कराना है। इसके अंतर्गत जनसंचार माध्यमों के संबंध में शोध प्रशिक्षण एवं सतत अध्ययन को गति देना, मीडिया के विभिन्न क्षेत्र में विशेष रुचि के अनुसार दक्षता पर विशेष बल दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस और फिल्म प्रोडक्शन हाउस की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	PGDEM&FP-01	मीडिया : अवधारणा एवं सिद्धांत	4	PGDEM&FP-04	फ़िल्म प्रबंधन
2	PGDEM&FP-02	फ़िल्म परिचय एवं इतिहास	5	PGDEM&FP-05	प्रायोगिक एवं प्रोजेक्ट कार्य
3	PGDEM&FP-03	फ़िल्म प्रोडक्शन			

9. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजेएमसी)

प्रस्तुत पाठ्यक्रम का उद्देश्य मीडिया क्षेत्र में कार्यरत लोगों तथा उनके व्यावसायिक विकास से जुड़े ज्ञान व कौशल में वृद्धि करना है। यह डिप्लोमा जनसंचार एवं पत्रकारिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों को सर्वांगीण दृष्टि प्रदान करता है। इस डिप्लोमा के लिए पटकथा लेखक, रिपोर्टर, संपादक, फोटोग्राफर, तकनीकी सहायक, जनसंपर्क अधिकारी आदि के अनुभव स्वीकार्य होंगे। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	PGDJMC-01	जनसंचार एवं पत्रकारिता : स्वरूप और सिद्धांत	3	PGDJMC-03	समाचार संकलन, लेखन एवं संपादन
2	PGDJMC-02	मीडिया और समाज	4	PGDJMC-04	जनसंपर्क एवं विज्ञापन

शुल्क सारिणी

क्र.	पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	नामांकन शुल्क	परिचय पत्र शुल्क	परीक्षा शुल्क	उपाधि शुल्क	कुल पाठ्यक्रम शुल्क (₹ में)
1	MBA	11,500 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2500	--	14,500
		11,500 (द्वितीय वर्ष)	200		--	2500	250	14,450
2	MSW	8,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	1000	--	9,500
		8,000 (द्वितीय वर्ष)	200		--	1000	250	9,450
3	MA (J&MC)	5,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	1000	--	6,500
		5,000 (द्वितीय वर्ष)	200		--	1300	250	6,750
4	MLib ISc	5,000	200	200	100	2000	250	7,750
5	BEEd	5,000 (प्रथम सत्र)	200	200	100	250/- प्रति प्रश्नपत्र	--	5,500
		5,000 (द्वितीय सत्र)	--	--	--		--	5,000
		5,000 (तृतीय सत्र)	--	--	--		--	5,000
		5,000 (चतुर्थ सत्र)	--	--	--		250	5,250
6	BLib ISc	5,000	200	200	100	2000	250	7,750
7	BA (J&MC)	5,000	200	200	100	2000	250	7,750
8	PGDEM&FP	5,500	200	200	100	1300	250	7,550
9	PGDJMC	3,000	200	200	100	1000	250	4,750

परीक्षा शुल्क को छोड़कर

महत्वपूर्ण निर्देश

प्रवेश प्रक्रिया

समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश 'मेरिट' के आधार पर होगा। आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध है, जिसे आवश्यक संलग्नकों व निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। जिन आवेदकों के नाम बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार मेरिट लिस्ट में आता है वे निर्धारित तिथि तक पाठ्यक्रम का शुल्क संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा करेंगे। चयनित आवेदकों की मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भुगतान प्रक्रिया

समस्त पाठ्यक्रम का शुल्क सामान्यतया एकमुश्त देय है। छात्र यदि चाहें तो संबंधित पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान दो समान किस्तों (प्रथम किस्त-प्रवेश आवेदन के साथ तथा द्वितीय किस्त परीक्षा आवेदन के साथ) में कर सकते हैं। समस्त शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से **वित्ताधिकारी, मगाअहिबि, वर्धा के पक्ष में तथा वर्धा में देय (Infavour of Finance Officer, MGAHV, Wardha payable at Wardha)** मांगपत्र के द्वारा विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जा सकता है। मांगपत्र के पीछे पाठ्यक्रम का नाम, छात्र का नाम, पता व मोबाइल नंबर का उल्लेख अनिवार्य है।

जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस, स्थानांतरित या समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि शुल्क विवरण में कोई परिवर्तन होगा तो यह परिवर्तन सभी पर लागू होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

संलग्नकों की सूची

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न होनी अनिवार्य हैं :

- | | |
|---|---|
| 1. कक्षा 10 की अंकसूची तथा प्रमाणपत्र (दोनों) | 2. कक्षा 12 की अंकसूची |
| 3. लीविंग/स्थानांतरण सर्टिफिकेट | 4. स्नातक की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र/डिग्री/अंतिम प्रमाणपत्र |
| 5. अनुभव/सेवा प्रमाणपत्र (जहाँ लागू है।) | 6. स्थाई पते का प्रमाण |

पूर्ण एवं विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज़ के साथ निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित पते पर पहुँच जाने चाहिए। अपूर्ण एवं अपाठ्य आवेदन बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिए जाएंगे -

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442 001 (महाराष्ट्र)

प्रवेश अनुभाग : 07152-232957, वेबसाइट : www.hindivishwa.org

पात्रता एवं प्रवेश

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की निश्चित संख्या या लक्षित समूह की संख्या के निर्धारण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। साथ ही यह संख्या पाठ्यक्रम की मांग व संचालित करने की क्षमता पर भी निर्भर होगी।
2. लक्षित समूह में नव-स्नातक विद्यार्थी, नौकरीपेशा अभ्यर्थी इत्यादि शामिल हैं।
3. प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारित 'प्रवेश-शर्तों' के आधार पर ही होगा जैसा कि विवरणिका में निर्देशित है।
4. सभी पाठ्यक्रमों का माध्यम हिंदी होगा।
5. स्नातक परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा केंद्र

अध्ययन केंद्र ही परीक्षा केंद्र हो यह अनिवार्य नहीं है। समस्त पाठ्यक्रमों की सत्रांत / वार्षिक परीक्षा विश्वविद्यालय के नियमानुसार चयनित केंद्रों पर होगी। विशेष परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

परीक्षा केंद्रों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

चयन सूचना

चयनित विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध होगी। विद्यार्थी दूर शिक्षा के कार्यालय एवं संबंधित अध्ययन केंद्र से संपर्क कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद ही उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा एवं नामांकन संख्या प्रदान की जाएगी। यह संख्या उनके परिचय-पत्र पर अंकित की जाएगी जो पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि तक मान्य होगी। नामांकन हेतु प्रपत्र विद्यार्थी द्वारा चुने गए अध्ययन-केंद्र से प्राप्त होगा। विद्यार्थी द्वारा भरा हुआ नामांकन प्रपत्र चुने गए अध्ययन-केंद्र द्वारा अग्रेषित होना आवश्यक है।

नामांकन प्रक्रिया

नामांकन की प्रक्रिया निम्नांकित है -

1. नामांकन प्रक्रिया का समस्त कार्य संबंधित अध्ययन केंद्र में ही संपन्न होगा। नामांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन दिया जाएगा। यह विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।
2. विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय केंद्रों/अध्ययन केंद्रों के माध्यम से विवरण-पत्रिका एवं नामांकन पत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाएगा।
3. अभ्यर्थी को नामांकन संबंधी समस्त अर्हता को स्वयं प्रमाणित करना होगा। वे अपने अध्ययन केंद्र का चुनाव सुविधानुसार स्वयं करेंगे। नामांकन पत्र में अभ्यर्थी अधिकतम दो अध्ययन केंद्रों के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।
4. अभ्यर्थी पूर्णरूप से भरा आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं आवश्यक शुल्क के साथ चयनित अध्ययन केंद्र में निर्धारित तिथि के भीतर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने हेतु जमा कराएंगे।
5. सफल अभ्यर्थी को एक स्थाई पंजीयन संख्या एवं अध्ययन केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्यतः एक अध्ययन केंद्र पर आवंटन का विचार न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों के नामांकन के उपरांत ही होगा। अध्ययन केंद्र में आवंटित अभ्यर्थी की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट, दूर शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय केंद्रों एवं संबंधित अध्ययन केंद्र में उपलब्ध होगी।
6. किसी भी स्थिति में आवंटित अध्ययन केंद्र को बदला नहीं जाएगा। सामान्यतः विश्वविद्यालय अभ्यर्थी को आवंटित अध्ययन केंद्र को अगले वर्ष भी जारी रखेगा, लेकिन असामान्य परिस्थिति में विश्वविद्यालय किसी अभ्यर्थी को आवंटित अध्ययन केंद्र बदल भी सकता है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अभ्यर्थी एवं अध्ययन केंद्र की किसी शिकायत की सुनवाई नहीं करेगा।
7. अध्ययन केंद्र प्रत्येक अभ्यर्थी से पाठ्यक्रम शुल्क नामांकन के समय ही जमा कराएगा। जहाँ तक नामांकन के स्थाईकरण का सवाल है यह विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई पंजीयन उपलब्ध कराने के बाद ही मान्य होगा।
8. यदि कोई अभ्यर्थी किसी पाठ्यक्रम में पहले से ही पंजीकृत है अथवा यदि वह डिप्लोमा के लिए पंजीकृत है एवं उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता/चाहती है तो अभ्यर्थी सिर्फ तत्संबंधी आवेदन अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा करा सकेगा/सकेगी।

अध्ययन केंद्र

अध्ययन-केंद्र का चयन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी स्वयं प्रवेश आवेदन-पत्र में अपने केंद्र का उल्लेख करेगा और उसी के अनुसार अध्ययन-केंद्र निर्धारित किया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से वांछित केंद्र का निर्धारण संभव नहीं होगा तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह विद्यार्थी के गृह जनपद के समीप का कोई अन्य अध्ययन-केंद्र, जहाँ विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो, निर्धारित करे। छात्र द्वारा चयनित केंद्र में परिवर्तन की माँग सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाएगी। विशेष परिस्थिति में किन्हीं औचित्यपूर्ण कारणों पर विचार किया जा सकेगा। प्रार्थना-पत्र पूर्व में चयनित अध्ययन-केंद्र के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

परिचय पत्र

निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद विद्यार्थी को परिचय-पत्र जारी किया जाएगा। इस परिचय-पत्र में विद्यार्थी का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, नामांकन संख्या आदि का उल्लेख किया जाएगा। किसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने की न्यूनतम अवधि के दौरान पाठ्यक्रम पूरा नहीं करने पर परिचय पत्र निर्धारित शुल्क देकर पुनः बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए ₹100 का मांग पत्र जमा कराना होगा।



पाठ्यक्रम सत्र

दूर शिक्षा निदेशालय सत्रीय/ वार्षिक प्रणाली (Semester / Annual System) के आधार पर पाठ्यक्रम संचालित करेगा। हर विद्यार्थी को प्रदत्त अधिकतम अवधि के भीतर संबंधित पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना होगा। इस अवधि में नामांकित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी।

पाठ्य सामग्री का वितरण

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इस पद्धति की शिक्षा 'विद्यार्थी केंद्रित' है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग एवं स्वाध्याय से ही संभव है। सामान्यतः परंपरागत प्रणाली में अध्यापक से विद्यार्थियों का सीधा संपर्क बनता है और इसी के माध्यम से उसे शिक्षा प्राप्त होती है। दूर शिक्षा प्रणाली में बहुआयामी व्यवस्था के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जानकारी विद्यार्थी को दी जाती है। इस हेतु विद्यार्थी को संबंधित अध्ययन/ क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य

प्रयोगात्मक कार्य अथवा परियोजना कार्य की व्यवस्था निर्धारित केंद्रों पर ही की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित परीक्षा के पूर्व प्रयोगात्मक व परियोजना कार्य पूरा नहीं करता है तो वह उस परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होगा और अगली परीक्षा के प्रयोगात्मक कार्य के लिए निर्धारित शुल्क ₹ 250 प्रति प्रश्नपत्र अलग से पुनः जमा करना पड़ेगा।

सामान्य जानकारी :

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्र/ नामांकन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ अध्ययन केंद्र द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन एवं शुल्क जमा करने पर अध्ययन केंद्र इसकी प्राप्ति-रसीद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा। तत्पश्चात विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र को इसकी प्राप्ति-रसीद भेजेगा। अध्ययन केंद्र से आशा की जाती है कि वे अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र एवं शुल्क को समय से विश्वविद्यालय में जमा कराएँ। इसके, विश्वविद्यालय में देरी से जमा होने, इसकी सुरक्षा तथा अन्य नुकसान आदि के लिए अध्ययन केंद्र जिम्मेदार होगा। पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन तक प्रत्येक विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वे सभी दस्तावेज़, शुल्क, विश्वविद्यालय एवं अध्ययन केंद्र द्वारा प्राप्त सूचना आदि की छायाप्रति संभाल कर रखें।

आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट या विवरण-पत्रिका में दिए गए दिशा-निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

- ❖ प्रवेश-आवेदन के साथ संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेज़ स्वप्रमाणित हों। आधे-अधूरे, असत्यापित, अस्पष्ट, पूर्ण शैक्षिक एवं आवश्यक अर्हता न रखने वाले आवेदनों को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन के साथ परिचय-पत्र को अनिवार्य रूप से भरकर भेजें।
- ❖ द्वितीय वर्ष के छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आवेदन-पत्र को ही भरकर निर्धारित तिथि तक मुख्यालय में उपलब्ध कराएँ।
- ❖ क्रेडिट स्थानांतरण के अंतर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी इस हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन में क्रेडिट स्थानांतरण का उल्लेख अनिवार्य है।
- ❖ आवेदक अपना नाम व अन्य विवरण सावधानीपूर्वक स्पष्ट रूप से यथापेक्षित हिंदी व अंग्रेज़ी में भरें। आवेदक द्वारा भरे गए विवरणानुसार ही अंकतालिका जारी की जाएगी। आवेदन में ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख अनिवार्य है ताकि संबंधित सूचना तत्काल दी जा सके।
- ❖ छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रपत्र (जो लागू हो) में स्वयं द्वारा भरे हुए व स्वहस्ताक्षरित प्रवेश आवेदन-प्रपत्र एवं परीक्षा आवेदन-प्रपत्र ही स्वीकार्य हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले कोई भी दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही उपर्युक्त में से कोई अध्ययन केंद्र संचालक के हस्ताक्षर व मुहर के बगैर प्राप्त होता है तो संबंधित दस्तावेज़ निरस्त कर दिया जाएगा।
- ❖ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थान की 10+2+3 शैक्षिक पद्धति ही स्वीकार्य होगी।

- ❖ कोई भी दस्तावेज़ डाउनलोड करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर लॉग ऑन करें (खोलें), उसके पश्चात दूरस्थ शिक्षा का लिंक मिलेगा उसे क्लिक करें, तो बाईं तरफ (Left Side) पाठ्यक्रम सूचना का लिंक दिखेगा, उस लिंक में सूचनाएँ नीचे से ऊपर की ओर जाती (Scroll) करती हुई दिखेंगी। उसमें से वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट से कोई भी नवीनतम/सामयिक/आधुनिकतम सूचना/दस्तावेज़ डाउनलोड करने से पूर्व संबंधित कड़ी (Link) को एक बार रीफ्रेश (Refresh) अवश्य करें। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07152-232957 पर (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं. 6 बजे तक) संपर्क किया जा सकता है।
- ❖ विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों/ पाठ्यक्रमों/ परीक्षाओं/ अन्य से संबंधित सूचनाएँ यथासमय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। अतः सभी छात्र व अध्ययन केंद्रों को संचालक नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाली सूचनाओं को भली-भांति देखें व समझ लें, तदनुसार ही उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
- ❖ यदि बीएड को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्र, किन्हीं कारणवश प्रथम वर्ष/सत्र की परीक्षा देने से वंचित यह जाता है तो वह सीधे द्वितीय वर्ष/सत्र में प्रवेश ले सकेगा। पिछले सत्रांत/वार्षिक परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना एवं जिन पाठ्यक्रमों का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया हो, ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए आगामी सत्रांत/वार्षिक परीक्षा का परीक्षा आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति सुविधा

शारीरिक चुनौती प्राप्त (विकलांग) तथा आरक्षित वर्ग के छात्रों को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इस कोटि के छात्र छात्रवृत्ति हेतु संबंधित राज्य के संबंधित विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात विभाग इस आवेदन को सत्यापित कर पुनः छात्र को प्रेषित करेगा, जिसे छात्र आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य के संबंधित विभाग में जमा कराएंगे। छात्रवृत्ति सुविधा की अधिक जानकारी संबंधित विभाग/अध्ययन केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।

परीक्षा-आवेदन

अध्ययन केंद्र संचालक व छात्र इसका ध्यान रखें कि परीक्षा आवेदन-प्रपत्र स्पष्ट और पूर्ण रूप से भरा हो यथा परीक्षा केंद्र का नाम, पंजीयन संख्या, नामांकन संख्या, परीक्षार्थी का नाम (हिंदी व अंग्रेज़ी में), माता-पिता का नाम (हिंदी व अंग्रेज़ी में), पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड, जन्मतिथि, प्रश्न पत्र का नाम व कोड, यदि पूरक है तो पूरक वाले कॉलम में ही अंकित करें, उपस्थिति-पत्रक एवं प्रवेश-पत्र भी पूर्ण रूप से भरा हो। अपूर्ण परीक्षा आवेदन-प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा एवं बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।

परामर्श कार्यक्रम

अध्ययन केंद्र द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु समय समय पर व्यक्तिगत कक्षाएँ/परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे, जिससे कि :

- ❖ विद्यार्थियों में आवश्यक दक्षता एवं स्वस्थ प्रतियोगिता के गुण विकसित हों।
- ❖ अध्ययन केंद्र द्वारा निश्चित दिनों के अध्ययन के दौरान विद्यार्थी अपनी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान खोज सकें।
- ❖ पर्यवेक्षक द्वारा जाँचे गए निर्दिष्ट कार्यों, प्रयोगों, परियोजना कार्यों तथा सत्रीय कार्य प्राप्त कर सकें एवं अध्ययन केंद्र में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन कर सकें।
- ❖ अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो ताकि विद्यार्थी अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर सकें।
- ❖ विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे अपनी क्षमता निर्माण हेतु सभी परामर्श कार्यक्रमों में भाग लें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस पाठ्यक्रम में इस कार्य के लिए निश्चित अवधि तय की गई है।

परामर्श और परीक्षा केंद्र

यह ज़रूरी नहीं है कि जहाँ शिक्षार्थी ने परामर्श या प्रायोगिक घटकों का अध्ययन किया है, वहीं प्रायोगिक परीक्षा का भी आयोजन हो। नियमित परामर्श सत्रों को शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में संचालित किया जाएगा, बशर्तें संबंधित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षार्थियों की संख्या 25 या अधिक हों।



विद्यार्थी के नाम/उपनाम में सुधार परिवर्तन

विद्यार्थी को प्रवेश पत्र पर अपना सही नाम जो कि उसके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है, ही लिखना है। यदि विद्यार्थी के नाम/उपनाम उसके हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र पर अंकित नाम से अलग है तो उसे इसका वैध साक्ष्य भी संलग्न करना होगा।

नाम/उपनाम में परिवर्तन हेतु प्रवेश की पुष्टि होते ही विद्यार्थी को विद्यार्थी-पंजीकरण-प्रभाग को भेजने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने क्षेत्रीय केंद्र में जमा करवाने होंगे :

- 1 एक दैनिक समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की अधिसूचना की मूल प्रति।
 - 2 नाम के परिवर्तन के संबंध में उचित मूल्य के स्टैप पेपर पर पहली श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सामने ली गई शपथ का मूल शपथ पत्र।
 - 3 शादी का कार्ड, शादी का प्रमाणपत्र यदि किसी महिला विद्यार्थी के उपनाम में परिवर्तन है।
 - 4 नाम/उपनाम में परिवर्तन को प्रदर्शित करती हुई राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना की मूल प्रति।
 - 5 वित्ताधिकारी, मगाअहिवि के पक्ष में तथा वर्धा में देय ₹400/- का मांगपत्र।
- नाम/उपनाम में सुधार और/या परिवर्तन हेतु प्रार्थना, पाठ्यक्रम के समाप्त होने से पहले ही स्वीकार्य होगी।

पता परिवर्तन/सुधार

पता परिवर्तन हेतु संबंधित अध्ययन केंद्र के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार्य होगा। यह सामान्यतया 4-6 हफ्तों में होता है। इसलिए इस अवधि के दौरान शिक्षार्थी अपने पत्रों को नए पते पर प्राप्त करने का प्रबंध स्वयं करें।

अन्य जानकारी

1. चूंकि यह पाठ्यक्रम दूर शिक्षा प्रक्रिया द्वारा संचालित है, इसलिए यह उसी नियमित/परंपरागत प्रक्रिया द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा जैसे आप अब तक पढ़ते आए हैं।
2. इस पाठ्यक्रम के लिए आपको स्वयं अध्ययन करना होगा जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
3. कृपया अपनी पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसे विशेष तौर पर स्वयं अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। अपनी टिप्पणियाँ तैयार करें एवं उन खंडों को रेखांकित करें जिसे आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तत्पश्चात अध्ययन सामग्री में दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे समझने का प्रयास करें।
4. आपके अध्ययन केंद्र द्वारा नियमित रूप से परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे जो आपकी समस्याओं/ शंकाओं के समाधान हेतु होंगे।
5. परामर्श कार्यक्रमों में आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, निर्देशन के लिए आग्रह कर सकते हैं तथा अपने कार्य/परियोजना की जाँची गई पुस्तिकाएँ आदि प्राप्त कर सकते हैं।
6. आपके अध्ययन केंद्र द्वारा आपके लिए प्रायोगिक परामर्श कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जहाँ आप अपने विषय के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।
7. कृपया अध्ययन केंद्र में आपके लिए तैयार किए गए पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं का प्रयोग उपलब्धता के आधार पर अवश्य करें।
8. आपके प्रायोगिक विषयों का आंतरिक मूल्यांकन आपके अध्ययन केंद्र पर किया जाएगा।
9. अपने अध्ययन केंद्र से ही अपनी परीक्षा तिथियों का विवरण प्राप्त करें।
10. अपने अध्ययन केंद्र से ही आप परीक्षा प्रवेश पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।
11. परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत आपका प्रमाण पत्र तथा परीक्षा परिणाम आपके अध्ययन केंद्र पर भेज दिया जाएगा।
12. परीक्षा तिथियों, परीक्षा परिणामों, प्रवेश पत्र इत्यादि से संबंधित जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।
13. अपने अध्ययन केंद्र से आप विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

मूल्यांकन एवं परिणाम

दूर शिक्षा निदेशालय विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु आंतरिक एवं सत्रांत मूल्यांकन पद्धति को अपनाता है। इसमें कुल पूर्णांकों में से 30% आंतरिक मूल्यांकन/संपर्क कक्षाओं तथा शेष 70% सत्रांत मूल्यांकन का होगा। सत्रांत मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी दोनों पूर्णांकों (100%) में 40% प्राप्तांक लाएगा, वही उत्तीर्ण माना जाएगा। जो विद्यार्थी 40% प्राप्तांक लाने में असफल रहेंगे, उन्हें अगली सत्रांत परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित शुल्क ₹ 300 प्राप्ति प्रश्नपत्र जमा करना होगा। सत्रीय कार्य में उत्तीर्ण नहीं होने पर अगले सत्र में सत्रीय कार्य पुनः जमा करने हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 250 जमा करना अनिवार्य है।

सत्रांत परीक्षा

प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए : 100 अंक

सत्रांत मूल्यांकन : प्रत्येक प्रश्नपत्र के सैद्धांतिक/प्रायोगिक कार्य के लिए 70 अंक निर्धारित हैं।

आंतरिक मूल्यांकन : निर्दिष्ट कार्यों के लिए आंतरिक मूल्यांकन में 30 अंक निर्धारित हैं।

सभी निर्दिष्ट कार्य प्रत्येक विद्यार्थी को समय से जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम उसके सभी सत्रों के अंकों तथा प्रस्तुति इत्यादि को जोड़कर प्रकाशित किया जाएगा।

पुनर्गणना

पुनर्गणना का अर्थ सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए अंकों की पुनर्गणना है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि उत्तर पुस्तिका का कोई अंश बिना मूल्यांकित हुए छूट तो नहीं गया है। परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर इस हेतु आवेदन करना होगा तथा हर प्रश्न पत्र के लिए ₹ 200/- का मांगपत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। पुनर्गणना की अवधि सामान्यतः आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक माह होगी। अगर पुनर्गणना में कोई परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय अधिक अंक को ही मान्यता देगा। नई अंक सूची बिना किसी शुल्क के विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं एवं निश्चित सत्रीय कार्यों की पुनर्जांच नहीं होगी।

यदि आप शुल्क जमा नहीं करते/करती हैं

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क को नियमानुसार समय पर जमा न करने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट कार्य हेतु किए गए अनुरोध पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। अतः विद्यार्थी एवं अध्ययन केंद्र इस पर गंभीरता से ध्यान दें।

श्रेणी सुधार

किसी भी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी जो अपने पूर्व के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के इच्छुक हों, वे अलग से परीक्षा शुल्क जमा करके पुनः आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रमाण-पत्र/डिग्री/डिप्लोमा निर्गत होने के पश्चात श्रेणी-सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी श्रेणी सुधार शुल्क ₹ 500/- के अतिरिक्त प्रति प्रश्नपत्र ₹ 300/- जमा कर सकते हैं। यह अवसर मात्र एक बार दिया जाएगा। इस हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के चार सप्ताह के भीतर आवेदन करना होगा। इस परीक्षा में यदि प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय अधिक प्राप्तांकों को ही मान्यता देगा।

डिप्लोमा/डिग्री की प्रतिलिपि

प्रत्येक प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेज़ सहित ₹ 500/- के मांगपत्र के साथ निदेशक, दूर शिक्षा के नाम पूर्व प्रक्रिया की भांति भेजें।

नियमों में संशोधन

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की अकादमिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण में संशोधन या इससे जुड़े शुल्क विवरण में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन, अद्यतन, किसी नियम में कुछ शामिल करने अथवा कमी करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। यह संशोधन वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों के अलावा पूर्व में प्रवेशित छात्रों पर भी लागू होगा।

क्षेत्राधिकार

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त अकादमिक कार्यक्रमों एवं परीक्षा/वित्तीय/प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े विवादों का क्षेत्राधिकार मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ (महाराष्ट्र) होगा।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

दूरभाष : 07152-232957 ई-मेल : mgahvdistancedirector@gmail.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org

दूर शिक्षा निदेशालय प्रवेश आवेदन पत्र 2015-16

कार्यालयीन उपयोग हेतु	नामांकन संख्या :

आवेदक अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो विपकाएं

महत्वपूर्ण निर्देश :

- आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट/विवरणिका में उपलब्ध निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।
- संपूर्ण पाठ्यक्रम-शुल्क एकमुश्त देय होगा। जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।
- आवेदक अपना नाम व अन्य विवरण सावधानीपूर्वक स्पष्ट रूप से यथापेक्षित हिंदी व अंग्रेजी में भरें। आवेदक द्वारा भरे गए विवरणानुसार ही अंकतालिका जारी की जाएगी। मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी का उल्लेख अनिवार्य है।

मांगपत्र का विवरण :

जारीकर्ता बैंक	अदाकर्ता शाखा (Payable At)	मांगपत्र संख्या	दिनांक	राशि (₹)

1. पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र :
कोड :

2. आवेदक का नाम : (हिंदी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

3. पिता का नाम : (हिंदी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

4. माता का नाम : (हिंदी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

5. जन्मतिथि : (अंकों में)

D D M M Y Y Y Y

 (शब्दों में)
(10 वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र के अनुसार)

6. स्थायी पता (हिंदी में)
..... थाना
जिला राज्य पिन
फोन (एसटीडी कोड सहित)
मोबाइल ई-मेल

7. पत्राचार-पता (हिंदी में)
..... थाना
जिला राज्य पिन
फोन (एसटीडी कोड सहित)
मोबाइल ई-मेल

8. पत्राचार-पता (अंग्रेजी में)

जिला राज्य पिन

फोन (एसटीडी कोड सहित)

मोबाइल ई-मेल

9. राष्ट्रीयता :

भारतीय	अन्य

 10. लिंग :

स्त्री	पुरुष	अन्य

 11. क्षेत्र :

शहरी	ग्रामीण

12. वैवाहिक स्थिति :

विवाहित	अविवाहित	अन्य

 13. श्रेणी :

सामान्य	अजा	अजजा	ओबीसी	अन्य

 (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. रोजगार स्थिति :

रोजगार	बेरोजगार

 15. आवेदक की वार्षिक आय :

16. क्या आवेदक शारीरिक चुनौती प्राप्त (विकलांग) है? यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

17. क्या आवेदक कोई छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध कराएं।

18. शैक्षणिक योग्यताएँ (स्नातकोत्तर से प्रारंभ करें) : यदि स्थान कम हो तो शैक्षिक विवरण पृथक पृष्ठ पर संलग्न करें।

परीक्षा	विश्वविद्यालय/कॉलेज	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
स्नातकोत्तर							
स्नातक/समकक्ष							
हायर सेकेंडरी (10+2)							
दसवीं/हाईस्कूल							
अन्य							

19. कार्यानुभव : (कार्यानुभव प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है, यदि लागू हो)

क्र.	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	संस्थान का नाम	अवधि (कब से कब तक)

20. घोषणा :

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता/चाहती हूँ, उससे संबंधित समस्त जानकारीयों एवं योग्यताओं को मैंने समझ व जान लिया है। मैं संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक योग्यता रखता/रखती हूँ तथा इसके लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कर रहा/रही हूँ। अगर कोई जानकारी गलत या भ्रामक पायी गयी, तो विश्वविद्यालय किसी भी समय मेरे प्रवेश को निरस्त/रद्द कर सकता है। मैं, मेरे द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए किसी भी शुल्क को पुनः प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होऊँगा/होऊँगी। मैंने विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org पर उपलब्ध नियमों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ, साथ ही भविष्य में नियमों को लेकर कोई विवाद नहीं करूँगा/करूँगी। आवेदन में दी गयी समस्त जानकारीयों तथा उनके समर्थन में संलग्न दस्तावेज मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं।

नोट : कृपया कॉलम क्र. 9-14 हेतु (✓) का निशान लगाएँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

21. संलग्नक :

I. मांग पत्र II. शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र (10+2+3) III. अनुभव प्रमाणपत्र IV. आयु प्रमाणपत्र V. ₹ पांच का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा, जिस पर आवेदक का पता लिखा हो। VI. स्थायी पते का प्रमाण।

आवेदक लिफाफे पर “..... पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन” अवश्य लिखें। पूर्ण आवेदन-पत्र समस्त दस्तावेज व मांगपत्र के साथ प्रेषित करने का पता निम्नांकित है-

मुख्यालय, वर्धा	क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद	क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
प्रवेश अनुभाग, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र) संपर्क : 07152-232957	प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, 24/28, सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद - 211001 (उ.प्र.) संपर्क : 0532 - 2424442	प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऐकतान, ईजेडसीसी, आईए-290, सेक्टर-3, साल्ट लेक, कोलकाता - 700091 (प.बं.) संपर्क : 033-23350144

■ क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद

प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
24/28, सरोजिनी नायडू मार्ग,
इलाहाबाद - 211001 (उ.प्र.)
संपर्क : 0532 - 2424442

■ क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
ऐकतान, ईजेडसीसी, आईए-290, सेक्टर-3, साल्ट लेक,
कोलकाता - 700091 (प.बं.)
फोन - 033-23350144

विद्यार्थी सेवा केंद्र

दूर शिक्षा निदेशालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की सहायता एवं
पाठ्यक्रमों से संबंधित किसी भी सुझाव/शिकायत
एवं जानकारी के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र के
ई-मेल studentservicecentredde@gmail.com पर लिखें
या **whatsapp no. 09175606910** पर संपर्क किया जा सकता है।

अध्ययन केंद्र सहायता प्रकोष्ठ

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों तथा
विद्यार्थियों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं के
निस्तारण हेतु
ई-मेल : studycentermgahv@gmail.com पर लिखा या
Whatsapp No. : 09911885198 पर संपर्क किया जा सकता है।



ज्ञान शांति मैत्री

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442 005 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : +91-7152-247146, फैक्स : +91-7152-232957

E-mail : mgahvdistancedirector@gmail.com, वेबसाइट : www.hindivishwa.org